परिपत्र संख्या 15/2017

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 12479 दिनांक : 23/10/17

–: परिपत्र :–

विषय :–विभाग की बकाया राजस्व वसूली का पंजीयन अभिलेख/राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने बाबत।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–56 में बकाया स्टाम्प ड्यूटी व पैनल्टी की वसूली के संबंध में निम्न प्रावधान है :–

56. Recovery of duties and penalties-- (1) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter-III may be recovered by the Collector by distress and sale of the movable or immovable property of the person, from whom the same are due, or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue.

(2) All duties, penalties and other sums required to be paid under this chapter or under chapter III shall be a charge on the property which is the subject matter of the instrument.

(3) An entry of the charge referred to in sub-section (2) shall be made in the indices specified in the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and such entry shall be deemed to be a notice under the said Act.

(4) Where the subject matter of the instrument is-

(i) a revenue land, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the Tehsildar concerned who shall enter the information in the land records; and

(ii) a land vested in, or placed at the disposal of, a local authority or a building or any part thereof situated within the area of a local authority, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the local authority concerned which shall get the information entered into the records maintained in respect of such land or building, as the case may be.

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उक्त प्रावधान के अनुसार हेतु मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क, अधिभार, ब्याज एवं शास्ति की वसूली की कार्यवाही की जाती है। उक्त राशि बकाया होने संबंधी इन्द्राज किये जाने हेतु पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत संधारित विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में किये जाने तथा राजस्व भूमि के मामलें में भू–अभिलेख में प्रविष्टि हेतु संबंधित तहसीलदार को तथा स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में स्थित भूमि व भवन के मामलें में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने हेतु सूचना भिजवाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों की अनुपालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में भी विभाग की राजस्व राशि बकाया होने का स्पष्ट इन्द्राज किया जावें ताकि ऐसी अचल सम्पत्ति का पश्चात्वर्ती बेचान के समय बकाया राजस्व राशि की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित हो सकें।

16/10/17

(डॉ0राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

Circular

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ 12480 – 13080 दिनांक : 23/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल राजस्थान–अजमेर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को सूचनार्थ एवं विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने तथा ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में राजस्व बकाया वसूली के इन्द्राज हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
12. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
13. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
14. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
15. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
16. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर